लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 35 **भोपाल, दिनांक** 16-09-2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:- अतिथि शिक्षक लंबित मानदेय भुगतान/ सी. एम. हेल्पलाइन निराकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत शासकीय विद्यालयों मे विगत सत्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनका आमंत्रण विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिपालन में किया गया है, किन्तु पोर्टल से मानदेय (सत्र 2023-24 तक) अपरिहार्य परिस्थिति में जनरेट नहीं होने से मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण सी. एम. हेल्पलाइन के प्रकरण उद्भूत हुए।

उक्त परिपेक्ष्य में ऐसे सी.एम.हेल्पलाइन के प्रकरण जो न्यूनतम 6 माह से अधिक समय से उद्भूत होकर लंबित है तथा अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, ऐसे लंबित मानदेय जो नियमानुसार देय है के प्रकरणों का नियमानुसार उपलब्ध बजट से मानदेय भुगतान करते हुए तत्काल निराकरण कर सी.एम.हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बंद कराना सुनिश्चित करें। यह कार्यवाही **7 दिवस** में पूर्ण करे समयसीमा में कार्यवाही नहीं होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक
लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2026-27/36 भोपाल, दिनांक 16-09-2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी , सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

संचालक
लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश